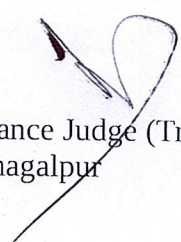


SPL. VIGILANCE CASE NO-1019/2001

17-01-2026

वाद के एक मात्र अभियुक्त नवल किशोर यादव अनुपस्थित है । वाद के अभियुक्त पर NBW ,82,83 प्रोसेस डी0बी0 नं0 434 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा जारी किया गया है परन्तु अभियुक्त आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं। दिनांक 13.01.2026 को लोक अभियोजक निगरानी को निर्देश दिया गया कि U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य पुस्तुत करे। लोक अभियोजक निगरानी के निवेदन पर U/S -299 crpc के अंतर्गत साक्ष्य बंद किया जाता है तथा अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई अधिपत्र (Permanent Warrant) जारी करे।


Spl. Vigilance Judge (Trap)
Bhagalpur